उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
14—अशोक मार्ग, शक्ति भवन,
लखनऊ।

संख्याः 1500— कार्य—14 / पाकालि / 2009—128—के0 / 2009 दिनांकः 10 दिसम्बर, 2009

कार्यालय—ज्ञाप

दिनांक 18.11.2009 को विभिन्न वितरण निगमों के अधिकारियों की बैठक में सामग्री लेखा प्रस्तुत करने में अत्यधिक विलम्ब के कारणों की समीक्षा में पाया गया कि सम्बन्धित सैक्सन होल्डर एवं खण्डों द्वारा समय पर लेखा उपलब्ध नहीं करवाया जाता है जिसके कारण वितरण निगम लेखा को संकलित कर प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं।

सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि सामग्री लेखा को समय से प्रस्तुत न किये जाने पर भविष्य में निम्न प्रशासनिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगीः—

- जिन सैक्शन होल्डर्स का सामग्री लेखा तीन माह से अधिक की अवधि का लम्बित है, उनको वर्तमान पद पर रहते हुये 15 दिवसों में लेखा जमा करने के आदेश निर्गत किये जायें। इस अवधि में उनसे लेखा के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं लिया जायेगा।
- 15 दिवसों में भी लेखा प्रस्तुत न किये जाने पर लेखा प्रस्तुत करने तक की अवधि का अवकाश बिना वेतन के स्वीकृत किया जा सकेगा।
- 60 दिवसों तक भी लेखा प्रस्तुत न होने पर निलम्बन कर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी तथा कार्मिक के विरुद्ध सामग्री मूल्य के समतुल्य अग्रिम बुक दिया जायेगा।
- जिनका लेखा 3 माह अथवा कम अवधि का लम्बित है उनको सचेत करते हुये अगले एक माह में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये जायें।
- भविष्य में एक माह के डिफाल्ट पर चेतावनी, दो माह पर निन्दा प्रविष्टि एवं तीन माह पर निलम्बन की कार्यवाही भी की जायेगी।
- लेखा प्रस्तुत न किये जाने पर अगले माह का वेतन लेखा प्रस्तुत होने तक नहीं दिया जा सकेगा।
- **लेखा प्रस्तुत होने के बाद किसी भी अनियमितता एवं विसंगति हेतु विभिन्न स्तर के अधिकारियों द्वारा सामग्री उपभोग के सापेक्ष रेण्डम आधार पर सत्यापन भी किया जाना होगा, जिससे सामग्री के उपभोग में प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके।**

उपरोक्त आदेशों का निष्ठा एवं कठोरता से पालन सुनिश्चित किया जाना है।

नवनीत सहगल
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

संख्याः 1500(1) कार्य—14 / पाकालि / 2009 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

(1) सचिव (ऊर्जा), उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
(2) समस्त प्रबन्ध निदेशक / निदेशक वित्त / तकनीकी विद्युत वितरण निगम लि0, मध्यांचल—लखनऊ, पश्चिमांचल —मेरठ पूर्वान्चल—वाराणसी, दक्षिणांचल— आगरा, केस्को—कानपुर।
(3) समस्त निदेशकगण / का0प्रा0 एवं प्रशा0 / वित्त / वितरण / वाणिज्य, उ0प्र0 पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
(4) अधिशासी निदेशक(परिषण), उ0प्र0 पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
(5) अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक से सम्बद्ध विशेष कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
(6) अपर प्रबन्ध निदेशक से सम्बद्ध निजी सचिव, उ0प्र0 पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
(7) अपर सचिव, 1 / 2 / 3 अराजपत्रित, उ0प्र0 पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
(8) मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त) / लेखा एवं सम्प्रेक्षा, उ0प्र0 पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
(9) समस्त मुख्य अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता / अधिशासी अभियन्ता (वितरण / पारेषण), उ0प्र0 पाकालि।
(10) समस्त मुख्य लेखाधिकारी / उप मुख्य लेखाधिकारी / लेखाधिकारी, उ0प्र0 पाकालि।

आज्ञा से,

(रणधीर सिंह)
निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)